

नांक

आज्ञा पत्र

8.3.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है। इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 8.6.22 को पेश हों।

[Handwritten signature]

8.6.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपरिष्ठ पीठासीन अधिकारी महोदय आज 8.6.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 12.10.22 को पेश हो।

12.10.22

पत्रावली प्रस्तुत अभिभाषक सघ न आज न्यायिक कार्य स्थागित रखा। पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 9.11.22 को पेश हो।

9.11.22

पत्रावली पेश। प्रकरण में रेस्पोंडेंट की तामील शेष है इस हेतु अपीलान्त शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस आज ही पेश करें। जो पेश होने पर जारी हो। ताकि अपील का शीघ्रातिशीघ्र निस्तारण किया जा सके पत्रावली वास्ते तलबी रिकार्ड दिनांक 7.12.22 को पेश हों।

7.12.22

पत्रावली प्रस्तुत वकील अपीलाट/रेस्पों.उपरिष्ठ पीठासीन अधिकारी महोदय आज 8.12.22 पर है। अतः पत्रावली पूर्व आजानुसार दिनांक 11.1.23 को पेश हो।

11.1.23

पत्रावली पेश वकील अपीलाट को पूर्व पेशी पर हिदायत दी गई थी कि आगामी तिथि से पूर्व तामील से शेष रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश करें अन्यथा आगामी तिथि पर आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत अपील खारिज कर दी जाएगी। आज दिनांक तक अपीलान्त में रेस्पोंडेंट के रजिस्टर्ड नोटिस पेश नहीं किये गये हैं इससे स्पष्ट है कि अपीलान्त अपनी अपील के प्रति गम्भीर नहीं है। फलस्वरूप अपील अपीलान्त आदेश 9 नियम 5 सी.पी.सी. के तहत खारिज की जाती है। निर्णय पर इजलास सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर के फॉर्म होकर वाप तलबी तामील दाखिल वफतूर हो।



भू-प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
सीकर (कैम्प इन्डियन)